

FRIDAY, JULY 5, 2019

FRIDAY, JULY 5, 2019

26



CIN: L31200GJ2004PLCM
Website: www.torrentpower.com
Email: cs@torrentpower.com

NOTICE OF

NOTICE is hereby given that 2019 at 9:30 am at J. B. Auditorium

The Notice of the AGM along with the Form has been e-mailed to the members and physical copies of the same are available at the office of the Company Secretary.

The Notice of the AGM along with the Form and of Central Depository Services Limited office of the Company Secretary will be available for inspection from 24.09.2019 onwards.

Remote E-voting:

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Rules") and regulations made thereunder, the details of the AGM of the Company are forming part of the Notice.

The details pursuant to the provisions of the Rules are as follows:

1. Cut-off date for the purpose of determining the entitlement of members to attend and vote at the AGM.
2. Date and time of commencement of the AGM.
3. Date and time of end of the AGM.

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

Signature of the Officer Authorised to issue summons
REGISTRAR
Debts Recovery Tribunal, Jaipur

absolute right to accept or reject any or all of the shares therefrom from the auction proceedings at any stage. The name of the purchaser(s)/ applicant (s) only shall be the name of the purchaser(s) only as per the rule/conditions prescribed under the Securities and Exchange Act, 2002.

Note: Auction will be held on 07.08.2019
Dated: 05.07.2019



ATLAS CYCLES (HARYANA) LIMITED

Regd. Office: Industrial Area, Atlas Road, Sonapat - 131001
CIN No: L35923HR1950PLC001614, Tel. : 0130-2200001-06, Fax : 0130-2200018
Email : companysecretary@atlascycles.co.in Website: www.atlasbicycles.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

For Transfer of shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, transfer and Refund) Rules, 2016 ("The Rules") the dividend declared during the financial year 2010-11 which remained unclaimed for a period of seven years has been credited to the IEPF on 7th June, 2019. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

The company will not transfer such shares to the IEPF where there is a specific order of court/tribunal restraining any transfer of such shares or where the shares are hypothecated/pledged under the Depositories Act, 1996.

In compliance to the rules, the company has communicated individually to the concerned shareholders and the full details of such shares liable to be transferred to IEPF are also available on our website : www.atlasbicycles.com. Shareholders are requested to refer the link to verify the details of unencashed dividend and the shares that are liable to be transferred to the IEPF.

Kindly note that the company has already transferred the amount of dividend which remains unpaid/unclaimed for more than 7 years for year ended March 31, 2011 to the Investor Education and Protection Fund (IEPF). Therefore, any claim by any shareholder regarding unclaimed dividend for such year shall be done to Investor Education and Protection Fund Authorities and not to the company.

Therefore, Shareholders are requested to claim the dividend declared during the financial year 2011-12 and onwards before the same is transferred to IEPF.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the company would be issuing duplicate share Certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF as per the rules and upon such issue, the company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the DEMAT account of the IEPF.

The shareholders may further note that the details uploaded by the company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the Rules.

In case the company does not receive any communication from concerned shareholders on or before 24.09.2019, the company with a view to adhering with the requirements of the Rules, transfer the shares to IEPF by 30.09.2019.

The shares on which dividend is unclaimed for seven consecutive years since financial year 2010-11 shall also be transferred to IEPF. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF authorities following the procedure prescribed in the rules.

In case of any query/ further information/ information/ clarification on above matter, shareholders are requested to contact the company's Registrar and Share Transfer Agent M/s MAS SERVICES LIMITED at T-34, 2nd Floor, Block T, Okhla Industrial Estate Phase 2, New Delhi, Delhi 110020 ; Phone: 011 2638 7281; email id-info@masserv.com.

Place : Sonapat, India
Date : 05.07.2019

For Atlas Cycles (Haryana) Limited
Sd/-
Nikhil Bindal
(Company Secretary)

(Un Res For 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

21. प्रकाशक: डॉ. रामचंद्र प्रसाद शर्मा, एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
 के लिए प्रयुक्त किया जाना है।
 पता: सी-150, पार्क पथ, नई दिल्ली-110020
 ईमेल: cip.rpl@gmail.com /
 contact@atlasbicycles.com

दिनांक: 05/07/2019
 स्थान: नई दिल्ली



रानी झांसी रोड, नई दिल्ली 110055 फोन: 011 23610400,
 Email: ro1008@sib.co.in CIN: L65191KL1929PLC001017

[देखें नियम 8 (1)]
कच्चा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने दि. साउथ इंडियन बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना दिनांकित 16-02-2019 जारी की थी, जिसमें कर्जदार (1) श्री सुरेन्द्र टुटेजा, पुत्र श्री मंग सूचना दिनांकित 16-02-2019 जारी की थी, जिसमें कर्जदार (1) श्री सुरेन्द्र टुटेजा, पुत्र श्री पुरषोत्तम लाल टुटेजा, स्वामी मैसर्स श्री राम एंटरप्राइजेज, दुकान नंबर 7, एचबीसी मार्केट, सेक्टर-31, गुडगांव-122001, अन्य पता: मकान नंबर 1497, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सेक्टर-31, गुडगांव-122001, और गारंटर्स (2) श्रीमती नीतू टुटेजा, पत्नी श्री सुरेन्द्र टुटेजा, मकान नंबर 1497, गुडगांव-122001, और गारंटर्स (3) श्रीमती किरण बाला, पत्नी स्व. श्री हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सेक्टर-31, गुडगांव-122001, (4) श्रीमती मधु बाला, पत्नी कुलवन्त मेहता, मकान नंबर 28, 4 मरला कालोनी, गुडगांव-122001 तथा (5) श्रीमती मधु बाला, पत्नी स्व. श्री ईश्वर चंद, 94/4. 4 मरला कालोनी, गुडगांव-122001 तथा (6) श्री ईश्वर चंद के कानूनी श्री उमेश कुमार आहूजा, 94/4. 4 मरला कालोनी, गुडगांव-122001 स्व. श्री ईश्वर चंद के कानूनी वारिसों के रूप में, क्रमांक (5) तथा (6) द्वारा स्व. श्री ईश्वर चंद से उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पदा की हजारा नौ सौ इकसठ तथा पैसे छह मात्र का भुगतान आगे ब्याज और लागतों सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का **सांकेतिक कच्चा 01 जुलाई, 2019** को प्राप्त कर लिया है। कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार साउथ इंडियन बैंक लि. की दिनांक 30-06-2019 तक बकाया राशि रु. 52,79,693.58 /- (रुपय बावन लाख उनसौ ति. की दिनांक 30-06-2019 तक बकाया राशि रु. 50,38,961.06 /- (रुपय पचास लाख अड़तीस हजार छह सौ तिरानवे तथा पैसे अठ्ठावन मात्र) और उस पर ब्याज तथा लागतों का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

- आइटम नंबर 1 :**
 श्रीमती किरण बाला के नाम में 4 मरला, तहसील एवं जिला गुडगांव स्थित आवासीय सम्पत्ति मकान नंबर 28, परिमाण 51 वर्ग गज, उसके ऊपर निर्मित सभी निर्माणों/सुधारों सहित, के सभी अंश एवं खंड। सम्पत्ति का अधिक विस्तृत विवरण एसआरओ गुडगांव की सेल डीड नंबर 12020 दिनांकित 04-01-2001 के तहत वर्णित किया गया है। चौहद्दी: उत्तर: आल्फा राम का मकान, दक्षिण: कोडा राम का मकान, पूर्व: संत राम का मकान, पश्चिम: रोड।
- आइटम नंबर 2 :**
 श्री सुरेन्द्र टुटेजा के नाम में ग्राम गुडगांव, तहसील और जिला गुडगांव की राजस्व सम्पदा के भीतर स्थित ओम नगर (अब राज नगर के नाम से ज्ञात) में खसरा नंबर 1040/1/17 में शामिल व्यवसायिक सम्पत्ति परिमाण 12.7 वर्ग गज, मय दुकान नंबर 633/61/18, उसके ऊपर निर्मित सभी निर्माणों/सुधारों सहित, के सभी अंश एवं खंड। सम्पत्ति का अधिक विस्तृत विवरण एसआरओ गुडगांव की सेल डीड नंबर 9709 दिनांकित 05-11-1999 के तहत वर्णित किया गया है। चौहद्दी: उत्तर: नरेन्द्र कुमार सुडान का मकान, दक्षिण: रोड, पूर्व: श्रीमती राज बाला, पश्चिम: नरेन्द्र कुमार सुडान की दुकान।
- आइटम नंबर 3 :**
 श्री ईश्वर चंद एवं श्रीमती मधु बाला के संयुक्त नाम में गुडगांव की राजस्व सम्पदा तथा एम.सी. सीमा के भीतर 4/8 मरला, माडल टाउन, गुडगांव स्थित आवासीय सम्पत्ति मकान नंबर 94/4. परिमाण 45.6 वर्ग गज, उसके ऊपर निर्मित सभी निर्माणों/सुधारों सहित, के सभी अंश एवं खंड। सम्पत्ति का अधिक विस्तृत विवरण एसआरओ गुडगांव की सेल डीड नंबर 4519 दिनांकित 24-07-2000 के तहत वर्णित किया गया है। चौहद्दी: उत्तर: रोड, दक्षिण: श्री मिश्रा का मकान, पूर्व: राधे श्याम की सम्पत्ति, पश्चिम: रोड।

प्राधिकृत अधिकारी
 दि. साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
 स्थान: गुडगांव

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: इंडस्ट्रियल एरिया, एटलस रोड, सोनीपत-131001
 CIN No. L35923HR1950PLC001614, टेली: 0130-2200001-06, फैक्स: 0130-2200018
 ईमेल: companysecretary@atlascycles.co.in, वेबसाइट: www.atlasbicycles.com

शेयरधारकों के लिये सूचना

(निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण में शेयरों के अंतरण के लिये) एतद्वारा शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 ("नियमावली") के प्रावधानों के अनुपालन में वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान घोषित लाभांश जो पिछले सात वर्षों को अवधि से दावा-रहित रहा है, को 7 जून, 2019 को आईईपीएफ में क्रेडिट कर दिया गया है। तथानीय शेयरों जिस पर लगातार सात वर्षों से लाभांश दावा-रहित था, को भी नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अंतरित किया जायेगा।

कम्पनी ऐसे शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित नहीं करेगी जहाँ ऐसे शेयरों के किसी भी अंतरण पर न्यायालय/अधिकरण के आदेश विशेष द्वारा प्रतिबंध लगी है अथवा जहाँ शेयर डिपोजिटरीब अधिनियम, 1996 के अंतर्गत हाइपोथेकेटिड गिरवी हैं। नियमावली के अनुपालन में कम्पनी ने संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया है तथा आईईपीएफ में अंतरित किये जाने वाले ऐसे शेयरों का सम्पूर्ण विवरण हमारी वेबसाइट: www.atlasbicycles.com पर उपलब्ध है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि अनइन्क्वैड लाभांश तथा आईईपीएफ में अंतरित किये जाने वाले शेयरों के विवरणों की जाँच के लिये लिंक देखें।

कृपया ध्यान रहे कि कम्पनी ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिये लाभांश राशि जो 7 वर्षों से अधिक से अप्रदत्त/दावा-रहित रही थी, को निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में पहले ही अंतरित कर दिया है। अतएव, ऐसे शेयरों के दावा-रहित लाभांश के संदर्भ में कोई भी शेयरधारक अपना दावा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरणों में करेगी न कि इस कम्पनी में अतएव, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान घोषित लाभांश का इससे पूर्व की उसे आईईपीएफ में अंतरित किया जाये, अपना दावा प्रस्तुत करें।

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले संबंधित शेयरधारकों जिनके शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किया जायेगा, यह ध्यान रखें कि कम्पनी नियमावली के अनुसार आईईपीएफ में शेयरों के अंतरण के लिये उनके द्वारा जारी किए गए शेयर प्रमाण पत्र (त्रों) को जगह डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र (त्रों) जारी करने तथा उसे जारी करने के उभरान्त डीमैट में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्रों को रूपांतरित करने तथा आईईपीएफ के पक्ष में अंतरण के लिये कॉर्पोरेट कार्रवाई के द्वारा डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। उनके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) स्वतः निरस्त हो जायेंगे तथा उसे अधिचार्णीय माना जायेगा। डीमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले संबंधित शेयरधारक यह ध्यान रखें कि आईईपीएफ की डीमैट खाता के पक्ष में शेयरों के अंतरण के लिये कम्पनी कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

शेयरधारक यह भी ध्यान रखें कि उसकी वेबसाइट पर कम्पनी द्वारा अपलोड की गई विवरणों को नियमावली के अनुसार आईईपीएफ में शेयरों के अंतरण के लिये कम्पनी द्वारा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) को जारी करने के संदर्भ में पर्वोप सूचना माना जायेगा। यदि कम्पनी 24.09.2019 को या उससे पूर्व संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं करती है तो नियमावली को अपेक्षाओं का अनुसरण करने के उद्देश्य से कम्पनी 30.09.2019 तक शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित करेगी।

वित्त वर्ष 2010-11 से लगातार सात वर्षों से दावा-रहित रही लाभांश वाली शेयरों को भी आईईपीएफ में अंतरित किया जायेगा। ऐसी शेयरों पर उपचयित सभी लाभों, यदि कोई, हो, सहित आईईपीएफ में अंतरित लाभांश तथा तत्स्थानीय शेयरों के लिये शेयरधारक नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर आईईपीएफ प्राधिकरणों से उसे प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं। उपरोक्त विषय पर किसी प्रकार की पूछताछ/आगे जानकारी/सूचना/स्पष्टीकरण के लिये शेयरधारकों से अनुरोध है कि टी-24, 2रा तल, ब्लॉक टी, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट फेज-2, नई दिल्ली, दिल्ली 110020; फोन: 011-26387281, ईमेल आईडी-info@masserv.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट मै. मास सर्विसेस लिमिटेड से सम्पर्क करें।

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड के लिये
 हस्ता./-
 निखिल बिन्दल
 (कम्पनी सचिव)

स्थान: सोनीपत, भारत
 तिथि: 5.7.2019

नई दिल्ली